

समाधान योजना 2010

प्रपत्र-एक

सहमति प्राप्ति के लिए प्रपत्र

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

अधिनियम की धारा 25/26 के अधीन निस्सरण/निस्सरण जारी रखने की सहमति के लिए आवेदन पत्र
(नियम-3 देखिये)

प्रेषक:

सेवा में,

सदस्य-सचिव,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

महोदय,

मैं/हम (1) के स्वामित्व की भूमि/गृहादि से (2) तक की अवधि के लिए मल/व्यवसायिक बहिःस्राव के निस्सरण के लिए किसी नए या परिवर्तित निकास का प्रयोग करने/व्यावसायिक बहिःस्राव का नया निस्सरण करना आरम्भ करने या मल/व्यावसायिक बहिःस्राव निस्सरण करना जारी रखने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 25/26 के अधीन के सहमति लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं:-

1- द्रव/ठोस अवशिष्ट का व्ययन

(क) नालियों/निकासी मल सुरंगों/मल अभिक्रिया संक्रमों से होकर मल/मैला पानी।

(ख) नालियों/निकासी मल सुरंगों/मल अभिक्रिया संक्रमों से होकर व्यावसायिक बहिःस्राव।

(एक) सरिता...../नदी, या

(दो) सिंचाई के लिए भूमि पर, जिसकी सर्वेक्षण संख्या है और जो सरिता/नदी के समीपस्थ की दूरी पर है या

(तीन) झील/तालाब में जो सरिता/नदी के समीपस्थ/..... की दूरी पर है, या

(चार) सर्वेक्षण संख्या के अन्तर्भौमिक स्तर में, जो सरिता/नदी के समीपस्थ/..... की दूरी पर है, खुले अन्तःश्रवण के लिए सीधे भूमि पर,

या

(ग) निम्नलिखित में ठोस अवशिष्ट।

2- अनुलग्नक, परिशिष्ट, अन्य विशिष्टियों और योजनायें तीन प्रतियों में संलग्न हे।

3- मैं/हम आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुलग्नकों, परिशिष्टों और योजनाओं में दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

4- मैं/हम यह निवेदन करता हूँ/करते हैं कि यदि निस्सरण के स्थल या मात्रा में या उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन होगा तो सहमति के लिए नया आवेदन पत्र दिया जायेगा और जब तक ऐसी सहमति नहीं दी जाती तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

5- मैं/हम इसके द्वारा सहमत होता हूँ/होते हैं कि मैं/हम सहमति के नवीकरण के लिए बोर्ड को आवेदन पत्र निकास/निस्सरण के लिए सहमति अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास पूर्व प्रस्तुत करूँगा/करेंगे, यदि उसे तत्पश्चात जारी रखा जाना है।

6- मैं/हम वचनबद्ध होता हूँ/होते हैं कि मैं/हम बोर्ड द्वारा कोई अन्य सूचना मांगी जाने के एक मास के भीतर उसे प्रस्तुत करूँगा/करेंगे।

भवदीय

संलग्न :

टिप्पणी : जो प्रविष्टियाँ सुसंगत न हो उसे काट दीजिये।

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

आवेदक का पता.....

- 9- (क) कारखाने में उपस्थित होने वाले कर्मचारों की संख्या पारी के अनुसार
(ख) परिसर में निवास करने वाले कर्मचारियों की संख्या

10- (केवल स्थानीय निकायों के लिए) -

- (क) वर्तमान जनसंख्या,
(ख) नियमित मल अपवहन सुविधाओं के अन्तर्गत जनसंख्या,
(ग) सेप्टिक टैंक/पिट प्रिवी सुविधाओं वाली जनसंख्या,
(घ) सफाई शौचालयों के अन्तर्गत जनसंख्या

11- (केवल उद्योगों के लिए)-

- (क) कच्चे माल जैसे धातु/मिश्रधातु/रसायन, तेल, ईंधन आदि की, जो प्रतिमास प्रयुक्त होता है, सूची नोटिस मीटरी टन में दीजिए :-
धातु और मिश्रधातु
रसायन अकार्बनिक रंजक
कार्बनिक नाशक जीवभार
तेल और ग्रीस
ईंधन (क) काष्ठ
(ख) कोयला
(ग) तेल
(घ) गैस
(ङ) अन्य

ग्राम/भार
ग्राम/भार
ग्राम/भार
ग्राम/भार
ग्राम/भार
ग्राम/भार
ग्राम/भार
ग्राम/भार
ग्राम/भार
ग्राम/भार

(ख) वन उत्पादों और उपोत्पादों

के जो प्रतिमास (मीटरी टन में)

विनिर्मित किए जाते हैं,
नामों की सूची दीजिए -

क्रम संख्या/उत्पादों के नाम/
मात्रा (मीटरी टन में प्रतिमास)

(ग) सम्भव मध्यवर्ती उत्पादों की सूची दीजिए।

12- प्रतिदिन उपयोग में लाये जाने वाले जल की दैनिक मात्रा लीटर में दीजिए।

प्रयोग

(घरेलू/औद्योगिक/कृषि अन्य)

13- (अ) उन बहिःश्राव की प्रतिघंटा अधिकतम और प्रतिदिन अधिकतम मात्रा दीजिए जो उस भूमि/परिसर से जिसके लिए आवेदन किया गया है, उद्भूत होते हो :-

(लीटर में)
(प्रतिघंटा अधिकतम/प्रतिदिन अधिकतम)

- (क) घरेलू
(ख) औद्योगिक
(ग) कृषि
(घ) अन्य
(ङ) बहिःश्राव की कुल मात्रा
(आ) यह बताइये कि दर और मात्रा के माप किस प्रकार किए जाते हैं।

14- यह बताइये कि क्या बरसाती नालियाँ औद्योगिक/घरेलू बहिःश्राव से पृथक रखी गयी है?

हाँ/ नहीं

15- (क) क्या घरेलू बहिःश्राव औद्योगिक बहिःश्राव में मिल जाने दिये जाता है?

हाँ/ नहीं

(ख) यदि हाँ, तो उसका अनुपात बताइए।

घरेलू/औद्योगिक

- 16—(क) यह बताइये कि औद्योगिक या घरेलू बहिःस्त्राव की कोई अभिक्रिया की जाती है या मिश्रित बहिःस्त्राव की कोई अभिक्रिया की जाती है। यदि हाँ, तो संक्षेप में अभिक्रिया की प्रक्रिया (प्रथकतः) लिखिए:
- (ख) क्या अभिक्रिया के बिना या उसके पश्चात निकलने वाले बहिःस्त्राव का स्वरूप किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है?
- (ग) यदि अनुमोदित किया जाता है तो प्राधिकार पत्र संलग्न कीजिए (दो प्रमाणित प्रतियां भेजी जायें)
- (घ) क्या किसी दुकान/किन्हीं दुकानों का कोई बहिःस्त्राव विषैली है? यदि हाँ तो इस बहिःस्त्राव का परिणाम क्या है?
- 17—क्या निम्नलिखित व्ययन के लिए कोई उपबंध है :-
- (क) लोक अधोभूमि सीवर का घरेलू बहिःस्त्राव
- (ख) लोक अधोभूमि सीवर का औद्योगिक बहिःस्त्राव
- (ग) सीवर के स्वामी लोक प्राधिकारी का नाम दीजिए
- 18—क्या निम्नलिखित के व्ययन के लिए कोई उपबंध है :-
- (क) सिंचाई के लिये स्थलीय घरेलू बहिःस्त्राव
- (ख) सिंचाई के लिये स्थलीय औद्योगिक बहिःस्त्राव
- (ग) अधोभूमि स्तर में घरेलू बहिःस्त्राव
- (घ) ऊपर (क) के लिये प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयरों में लिखियें
- (ङ) ऊपर (ख) के लिये प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयरों में लिखियें
- 19—नीचे उल्लिखित स्थानों के लिये उपबंधित बहिःस्त्राव के व्ययन की मात्रा लीटर में दीजिए:
- (एक) सरिता/नदी
- (दो) भूमि पर सिंचाई के लिये
- (तीन) भूमि पर अन्तःश्रवण के लिये
- (चार) झील/तालाब
- 20—प्रतिकूल सरिता अवस्था के दौरान बहिःस्त्राव के संचयन के निमित्त टैंकों के लिए लैगनों के बराबर करने या भरने के लिये क्या कोई उपबंध है :-
- (एक) घरेलू बहिःस्त्राव
- (दो) औद्योगिक बहिःस्त्राव
- (तीन) मिश्रित बहिःस्त्राव
- 21—क्या पर्याप्त भूमि उपलब्ध है/उपलब्ध की जा सकती है यदि भूमि पर बहिःस्त्राव के निकालने का विचार करना पड़े।

हाँ/ नहीं

हाँ/ नहीं

हाँ/ नहीं

पहले से किया गया

जो किये जाने के लिये प्रस्तावित है

हाँ/ नहीं

हाँ/ नहीं

हाँ/ नहीं

हाँ/ नहीं

हाँ/ नहीं

पहले से किया गया

जो किये जाने के लिये प्रस्तावित है

हाँ/ नहीं

हाँ/ नहीं

हाँ/ नहीं

हाँ/ नहीं

हाँ/ नहीं

हाँ/ नहीं

घरेलू औद्योगिक मिश्रित

पहले से किया गया

जो किये जाने के लिये प्रस्तावित है

हाँ/ नहीं

22-(क) निम्नलिखित के सम्बन्ध में घरेलू/औद्योगिक/
मिश्रित बहिःस्त्रावों की संख्या के ब्योरे दीजिए।

अभिक्रिया के पूर्व बहिःस्त्राव

अभिक्रिया के पश्चात बहिःस्त्राव

अधिकतम

न्यूनतम

औसत

अधिकतम

न्यूनतम

औसत

निस्सरण पर

निस्सरण पर

निस्सरण पर

निस्सरण पर

निस्सरण पर

निस्सरण पर

एल. पी. एन. प्रति 100 मिली ग्राम/लीटर (मासिक औसत)

- (एक) पी0 एच0
(दो) वर्ग यूनिट सी0
(तीन) तापमान सी0
(चार) निलम्बित पिंड
(क) कुल मि0 ग्रा0/लीटर
(ख) स्थिर मि0 ग्रा0/लीटर
(ग) वाष्पशील मि0 ग्रा0/लीटर
(पाँच) विलयित पिंड
(क) कुल मि0 ग्रा0/लीटर
(ख) स्थिर मि0 ग्रा0/लीटर
(ग) वाष्पशील पिंड मि0 ग्रा0/लीटर
(छः) कुल वाष्पशील पिंड मि0 ग्रा0/लीटर
(सात) ऐम्पेनिया नाइट्रोजन मि0 ग्रा0/लीटर
(आठ) नाइट्रेट (मि0 ग्रा0/लीटर) एन0
(नौ) विलयित आक्सीजन मि0 ग्रा0/लीटर
(दस) बी. ओ. डी. 5 दिन 20 से. मि. ग्राम/लीटर
(ग्यारह) सी. ओ. डी. मि0 ग्रा0/लीटर
(बारह) तेल और ग्रीस मिली ग्राम/लीटर
(तेरह) क्लोराइड मिली ग्राम/लीटर (सी0 एल0 के रूप में)
(चौदह) फास्फेट (पी) मिली ग्राम/लीटर
(पन्द्रह) फिनाइलिक यौगिक मिली ग्राम/लीटर (फिनाल के रूप में)
(सोलह) सायनाइड (सी. एन. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(सत्रह) सल्फेट (एस. ओ. 4 के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(अट्ठारह) सल्फाइड (एस. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(उन्नीस) कीटनाशी मिली ग्राम/लीटर
(बीस) वुल अवशिष्ट-क्लोरीन (सी. एल. 2 के रूप में) मि./ग्रा/लीटर
(इक्कीस) फ्लोराइड (एफ. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(बाईस) बोरॉन (बी. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(तेईस) आर्सेनिक (ए. एस. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(चौबीस) बेरियम (बी. ए. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(पच्चीस) प्रतिशत सोडियम
(छब्बीस) कैडिमियम (सी. डी. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(सत्ताइस) टॉब (सी. यू. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(अट्ठाइस) सीसा (पी. बी. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(उन्तीस) क्रोमियम (क) (सी. आर. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(तीस) पारा (एच. जी. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(इक्तीस) निकिल (एन. आई. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(बत्तीस) सिलीनियम (एस. ई. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(तैंतीस) रजत (ए. बी. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(चौतीस) जस्ता (जेम. एन. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
(पैंतीस) कोई अन्य धातु मिली ग्राम/लीटर
(छत्तीस) कार्बन क्लोराफार्म सत्व
(सैंतीस) नाशकजीज भार मिली ग्राम/लीटर
(अड़तीस) कोलाइ रूपी जीव

(उन्तालीस) आविषाक्त घटकों के लिए बायोऐसेटी-एल 50 (96 घंटे)

- टिप्पणी—(1) किसी सक्षम प्रयोगशाला द्वारा किए गए प्रतिनिधि नमूना के विश्लेषण की रिपोर्ट की एक प्रति दीजिए।
(2) ऊपर वर्णित पैरामीटर के अवधारणा के लिए बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अवधारण पद्धतियों का अनुसरण किया जाएगा।
- (ख) क्या बहिःस्त्राव विषैला है? हाँ/ नहीं
(ग) यह बताइये कि क्या औद्योगिक बहिःस्त्राव —
(एक) दुर्गन्धयुक्त हाँ/ नहीं
(दो) क्षोभकार और या हानिकारण है हाँ/ नहीं
(तीन) संक्षारक है। हाँ/ नहीं
(चार) रंगयुक्त है हाँ/ नहीं
(घ) क्या किसी समय उसके तापमान में 10 डिग्री से0 ग्रेड से अधिक का कोई अप्रत्यक्ष परिवर्तन हो जाता है।

23 (क) क्या अवशिष्ट मल का निम्नलिखित परीक्षण करने के लिए आवेदक के पास सुविधाएं उपलब्ध है —

	वर्तमान	प्रस्तावित
(एक) भौतिक	हाँ/ नहीं	हाँ/ नहीं
(दो) रसायनिक	हाँ/ नहीं	हाँ/ नहीं
(तीन) जीवाणुवीय	हाँ/ नहीं	हाँ/ नहीं
(चार) विष वैज्ञानिक	हाँ/ नहीं	हाँ/ नहीं

(ख) यदि हो, तो उपस्कर के ब्योरे दीजिए।

24—जिस भूमि/परिसर आदि के लिए आवेदन किया गया है वह क्या खुला है?

अत्यन्त प्रदूषण दृव्य

- (ख) शीतल टैंक
(ख) मिश्रण टैंक
(ग) मिश्रण कुएँ (रा सर्ककुलेशन कुएँ)

विषाक्त कार्बनिक अकार्बनिक सूक्ष्म जैविकीय

25—ठोस अवशिष्टों के ब्योरे दीजिए
मौसमी अवशिष्ट
अधिपलावन
उच्छिष्ट सामग्री

वर्णन/मात्रा चयन की रीति व्ययन की रीति

26—संयंत्र का कुल विनियोजन

हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम
और पता
की ओर से
कर्म का नाम और पता

संलग्नक —

बहिःस्त्राव का अनुक्रम (फ्लोशीट)

प्रपत्र और अनुलग्नक को भरने के लिए स्पष्टीकरण टिप्पणी

टिप्पणी— केवल उन मदों के लिए दी गई हैं जिनके लिए स्पष्टीकरण वांछनीय समझा गया है। अन्य मदें स्वयं स्पष्ट हैं।

प्रपत्र— (1) यहाँ भूमि/परिसर के स्वामी का नाम लिखित, यदि वह आवेदक उद्योग या कारखाने से भिन्न का है। यदि भूमि/परिसर/कारखाना/उद्योग का है तो "स्वयं" लिखिए।

(2) यहाँ वह दिनांक लिखिए जब तक सहमति मांगी गई है।

(3) यहाँ नदी/सरित, जो भी लागू हो, का स्थानीय नाम लिखिए।

प्रपत्र का अनुलग्नक :

“निकास” का तात्पर्य उस बहिःस्राव के लिए निस्सरण के व्यवस्था से है जिनके लिए सहमति मांगी गई है।
“निस्सरण” का तात्पर्य उस बहिःस्राव से है जो निकाय से निकल रहा है।
“वर्तमान” का तात्पर्य उससे है जो सहमति के लिये आवेदन करने के समय प्रवर्तन में है।
“नया” का तात्पर्य उससे है जो भविष्य में प्रवर्तन में लाया जायेगा।
“परिवर्तित” का तात्पर्य उससे है जो निस्सरण प्रबन्ध की मात्रा और/या स्वरूप में परिवर्तन और निस्सरण स्थल आदि में परिवर्तन के कारण उपान्तरित किया गया है।

- मद-1: यहाँ उस व्यक्ति का नाम दीजिये जो संस्था/उद्योग, कारखाना/स्थानीय निकास आदि के द्वारा विधिक कामकाज को करने के लिए प्राधिकृत है।
- मद-2: वह कारखाना/उद्योग/आदि का रजिस्ट्रकृत नाम दीजिये जिसके अधीन कारोबार चलाया जाता है।
- मद-5: यहाँ सम्बन्धित संस्था जैसे कि लोक उद्यम ब्यूरो का उल्लेख कीजिये प्रशासनिक नियन्त्रण में कारखाना/उद्योग आदि स्थापित किया गया है।
- मद-6: केवल उन क्षेत्रों पर लागू है जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र है, जैसे आर्डीनेन्स कारखाना, टकसाल आदि।
- मद-13: (ख) बहिःस्राव की प्रतिघन्टा/दैनिक अधिकतम मात्रा के माप की पद्धति लिखिये जैसे कि प्रावापमापी, वेन्टरीमापी, बी-नोच, सम्प मेजरमेंट अनुमानित आदि।
- मद-15: (क) यदि बहिःस्राव की अभिक्रिया की जाती है तो प्रथमतः अभिक्रिया की रीति और प्रक्रिया का क्रमदर्शी आरेख लिखिये।
- मद-16: (ख) यहाँ “हाँ” लिखिये, यदि किसी अन्य प्राधिकारी, जैसे स्थानीय निकास या सरकारी विभाग ने पहले से ही अभिक्रिया करने या उसके बिना बहिःस्राव के निस्सरण को कारखाना/उद्योग की स्थापना के समय अनुमोदित किया है।
- मद-19: यहाँ विभिन्न प्रकार के जैसे घरेलू औद्योगिक या मिश्रित आदि बहिःस्राव की मात्रा दीजिए, जो कि सरिता/नदी, भूमि या समुद्र आदि में जो भी लागू हो, जाने देने के लिए प्रस्तावित है या जाने दिया जाता है।
- मद-22: (क) जो विश्लेषण दिया जाना है उसके अन्तर्गत उतने पैरामीटर आयेंगे जितने कि बहिःस्राव में पाये जाने की आशा है। यदि कुछ पैरामीटर के पाये जाने की आशा नहीं है कि कहिये कि लागू नहीं होते। यदि मदों के अधीन दिये गये पैरामीटरों से भिन्न किन्हीं पैरामीटरों के होने की आशा है तो उन्हें अन्त में वर्णित कीजिये। विश्लेषण घरेलू औद्योगिक और मिश्रित बहिःस्राव के लिये अलग-अलग दिया जायेगा।
- मद-22: (ख) यहाँ “विषाक्ता” का तात्पर्य उससे है जो मानक पद्धतियों में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार मछली पर जैव आमामन अध्ययन में स्थापित है।
- मद-24: यह मद ऐसे अत्यन्त प्रदूषणकारी पदार्थों को लागू होने के लिये अभिप्रेत है जो सामान्यता बहिःस्रावों में नहीं पाये जाते हैं, किन्तु जिन पर परिसरों में कार्यवाही की जाने की अपेक्षा की जाती है और जो आकस्मात् बहिःस्राव में बड़ी मात्रा में मिल सकते हैं।

पूंजीगत निवेश	सहमति शुल्क (जल)	
	आरम्भिक शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
रु 1 लाख से कम	50	10
रु 1 लाख से रु 10 लाख तक	500	250
रु 10 लाख से रु 50 लाख तक	1,500	750
रु 50 लाख से रु 1 करोड तक	5,000	2,500
रु 1 करोड से रु 10 करोड तक	20,000	10,000
रु 10 करोड से रु 50 करोड तक	50,000	25,000
रु 50 करोड से रु 100 करोड तक	75,000	35,000
रु 100 करोड से रु 500 करोड तक	1,00,000	50,000
रु 500 करोड से रु 1000 करोड तक	1,50,000	75,000
रु 1000 करोड से रु 5000 करोड तक	2,50,000	1,25,000
रु 5000 करोड से रु 10000 करोड तक	5,00,000	2,50,000
रु 10000 करोड से अधिक	10,00,000	5,00,000

नोट :- सहमति (जल) शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा जो कि "क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा" को देय होगा।